12/5/17	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट उदयपुरिया मे पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के स्व. पिता ईश्वरलाल व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 के पति/पिता स्व. नृसिंहलाल दोनो सगे भाई थे। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 के पिता स्व. ईश्वरलाल व स्व. नृसिंहलाल की पैतृक काश्त भूमि ग्राम उदयपुरिया में रही है, जिसके ख.न.	[illegible] [illegible]

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		सम्वत् 2054 से 2057 की जमाबन्दी अनु ख०न० 521 रकबा 0.15 है० ख०न० 1414 रकबा 0.04 है०, ख.न० 1415 रकबा 0.22 है० ख०न० 1416 रकबा 0.20 हेक्ट० कुल किता-4 का रकबा 0.61 हेक्टयर ईश्वरलाल व नृसिंहलाल दोनो का कुल 2/3 हक हिस्सा रहा है। इसके बाद अगली जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2069 की जमाबन्दी मे भी ईशरा व नृसिंहलाल का 34/60 हक व हिस्सा रहा है। सम्वत् 2058 से 2069 तक तो प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थीगण के पिता/पति दोनों का बराबर नाम जमाबन्दी मे चलता रहा, परन्तु बाद में राजस्थान सरकार द्वारा कम्प्यूटराईज्ड किया गया तब तहसील से जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065 की जमाबन्दी बनाई गई, जिसमे बिना किसी आदेश के बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के जमाबन्दी मे प्रार्थीगण के पिता स्व. ईश्वरलाल का नाम छुट गया व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 के पिता व पति नृसिंहलाल का नाम अकेले का ही दोनों भाईयो का हिस्सा दर्ज हो गया। सम्वत् 2062 से 2065 में प्रार्थीगण के पिता का नाम रह गया। सम्वत् 2066 से 2069 जमाबन्दी बनाई गई ~~तब~~ उससे पहले अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 के पति/पिता स्व. नृसिंहलाल का देहान्त हो गया व उनके स्थान पर नामान्तकरण स. 1104 दिनांक 15.1.14 को विरासत अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 के नाम अंकित हो गयी। इस कारण यह दुरूस्ती तहसीलदार के स्तर की नहीं रही तथा श्रीमान के क्षेत्राधिकार की रही है।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

ायालय

ख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

प्रार्थीगण के पिता स्व. ईश्वर लाल का देहान्त दिनांक 18/12/1992 को हो गया व ईश्वरलाल की पत्नी श्रीमती छोटी देवी जो प्रार्थीगण की माताजी थी, जिनका भी देहान्त दिनांक 7/3/1998 को हो गया। इस कारण अब ईश्वरलाल के वारिसान प्रार्थीगण ही रहे हैं जिनका ग्राम पंचायत उदयपुरिया द्वारा कुर्सीनामा दिनांक 12/1/16 को जारी किया हुआ है

अतः प्रार्थीगण का प्रा०पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि स्थित ग्राम-उदयपुरिया में स्थित खसरा किता -5 व रकबा 0.61 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 के नाम सहवन से दर्ज हुई भूमि हिस्सा 35/60 में से 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के नाम से प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी भूमि होने से प्रार्थीगण के नाम से इन्द्राज दुरुस्ती करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रा०पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार चौमू द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता दोनों भाईयों का बराबर नाम चलता रहा है। किन्तु जमाबन्दी सवत् 2062 से 2065 की जमाबन्दी कम्प्यूटराईज करते समय सहवन से प्रार्थीगण के पिता ईश्वरा का नाम छूट गया है व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 के पिता/पति नृसिंहलाल के अकेले के ही दोनों भाईयों का हि. दर्ज है तथा सम्वत् 2062 से 2065 के बाद अगली जमाबन्दी सवत् 2066 से 69 बनी है जिसमें - -

उपखण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		अकेले के ही दर्ज रिकॉर्ड को अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 के पिता/पति की हक्क हो जाने के कारण ना.सं. 1104 नि.दि. 13/12/14 से विरासत से हि. 34/60 जरिये नामान्तरकरण अमल दरामद हो गया है। अतः चालू जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 के खाता सं. 102 में सहवन से हुई त्रुटि का उक्त उनवानी प्रकरण के अनुसरण में हाल जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 खाता सं. 102 में प्रार्थीगण के पिता ईश्वरा पु. गोपी हिस्सा 17/60 एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 का हिस्सा 17/60 जाति रैगर समस्त निवासी उदयपुरिया के नाम दुरुस्ती किया जाना प्रस्तावित है। पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, व TDR चौमू की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी संवत् 2058-61 की खाता सं. 53 में ईश्वरा नृसिंह पिता गोपी हिस्सा 34/60 दर्ज है किन्तु जमाबन्दी संवत् 2062 से 65 की खाता सं. 85 में ईश्वरा का नाम छोड़ते हुये नृसिंह पुत्र गोपी हि. 34/60 अकेले के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार प्रार्थीगण के पिता/पति ईश्वरा का नाम जमाबन्दी लेखन के समय सहवन से रह गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act का स्वीकार किया जाता है तथा बाबत ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमू की

उपखण्ड अधिकारी
चौमू, जिला ज

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय

संख्या

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		जमाबन्दी [illegible] सम्वत 2066 से 2069 के खाता सं. 102 में प्रार्थीगण के पिता ईशरा पुत्र गोपी हिस्सा 17/60 तथा अप्रार्थीगण राधा देवी पत्नि नृसिंह, मक्खन लाल, बल्लूराम, गोविन्दराम पु० नृसिंह, शान्ति देवी, विमला देवी, रामेश्वरी देवी पुत्रीयाँ नृसिंह हिस्सा 17/60 शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। पालना के लिए तहसीलदार चौमू को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 12/3/17 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट उदयपुरिया मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी चौमूँ जिला जयपुर	

Scanned by CamScanner